

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

10/10/24

पत्रावली पेश हुई। कृषिवक्ता पार्सी उपर कृषिवक्ता पार्सी की कस सुनी गई। कृषिवक्ता पार्सी की कस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अस्थायी बिधेपत्रों के लिये किन्तु पार्सी के पत्र में सिद्ध नहीं होते हैं। अतः पार्सी का पार्सना-पत्र अर्जित च्याप 212 राजस्थान कानूनकड़ी कृषिवक्ता का स्वीकार भोजन नहीं होने से अस्वीकार/खारिज मिला जाता है। पत्रावली केसल शुकाट लेकर दर्ज नम्बर से कर की जाकर बाद तकमील दाखिल करार हो। निर्णय आज दिनांक 10.10.2024 को खुले व्याजालय में सुनाया गया।

10/10/24  
 (सुखराम बिसेन)  
 बाप (मिलाली)  
 A.A.S